हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

पंचम् सत्र

मंगलवार, 20 फरवरी, 2024/1 फाल्गुन, 1945(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएगें:**

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 22वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-2023 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(2) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री**, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार के नियम एवं शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, राजस्व विभाग, मंडलायुक्त कार्यालय, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या:रैव-ए(बी)1-13/2021(रूल्ज) अधीक्षक ग्रेड-I/(डिव.कॉम.), दिनांक 09.05.2023 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.06.2023 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत, राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश, उपायुक्त कार्यालय, अधीक्षक ग्रेड-I, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या:रैव-ए(बी)1-15/2022(रूल्ज), दिनांक 08.11.2023 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.12.2023 को प्रकाशित।

3. सदन की समिति का प्रतिवेदन:

श्री राजेन्द्र राणा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2023-24), समिति का **15वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 51वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

4. विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव:

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि **औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20)** को वापिस लिया जाए।

5. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट अनुमान:

सामान्य चर्चा ।

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 19 फरवरी, 2024 **सचिव।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)